संख्या - 004/वी.जी.एल/26
भारत सरकार
केन्द्रीय सतर्कता आयोग

सतर्कता भवन, ब्लाक-ए
जी.पी.ओ. काम्पलेक्स,
आई.एन.ए, नई दिल्ली-110023
दिनांक: 12.05.2009

परिपत्र संख्या 9/5/09

विषय: जनहित प्रकटीकरण एवं मुखबिर संरक्षण पर भारत सरकार का संकल्प - जनहित प्रकटीकरण एवं मुखबिर संरक्षण शिकायतों पर अन्वेषण रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विलंब के संबंध में ।

कृपया आयोग के दिनांक 17.05.2004 के कार्यालय आदेश संख्या 33/5/04 का संदर्भ लें जिसमें जनहित प्रकटीकरण एवं मुखबिर संरक्षण संकल्प के अंतर्गत आयोग द्वारा भेजी गई शिकायतों पर मुख्य सतर्कता अधिकारियों द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया को निर्धारित किया गया है । इस संकल्प में भारत सरकार ने केन्द्रीय सतर्कता आयोग को भ्रष्टाचार के किसी आरोप का प्रकटीकरण करने वाली अथवा पद के दुरूपयोग किए जाने की लिखित शिकायतें प्राप्त करने तथा उचित कार्रवाई की सिफारिश करने के लिए ''नामित अभिकरण'' के रूप में प्राधिकृत किया है । आयोग ने दिनांक 27.02.2009 के कार्यालय आदेश संख्या 4/2/09 द्वारा मंत्रालय/विभागों/संगठनों को, जनहित प्रकटीकरण एवं मुखबिर संरक्षण संकल्प के अंतर्गत आयोग द्वारा भेजी गई शिकायतों पर, आयोग का संदर्भ प्राप्त होने के एक माह की अवधि के भीतर अपनी अन्वेषण रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए हाल ही में सलाह दी थी ।

2. हाल ही में, आयोग ने देखा है कि कुछ संगठनों के मुख्य सतर्कता अधिकारियों द्वारा अन्वेषण रिपोर्ट निर्धारित समय सीमा के बाद अत्यधिक विलंब से प्रस्तुत की गई थी जो जनहित प्रकटीकरण एवं मुखबिर संरक्षण संकल्प के अभिप्राय के विरूद्ध है ।

3. अत:, आयोग ने अब यह निर्णय लिया है कि, अब से, एक माह के निर्धारित समय सीमा के बाद विलंब के सभी मामलों में, जनहित प्रकटीकरण एवं मुखबिर संरक्षण संदर्भों पर आयोग को रिपोर्ट भेजते समय अन्वेषण रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विलंब के लिए सही कारणों को मुख्य सतर्कता अधिकारियों द्वारा विशेष रूप से बताना/स्पष्ट करना चाहिए ।

4. आयोग के उपर्युक्त निदेशों का सख्ती से पालन किए जाने हेतु सभी मुख्य सतर्कता अधिकारी नोट करें ।

हस्ता0/-
(शालिनी दरबारी)
निदेशक

सेवा में

सभी मुख्य सतर्कता अधिकारी